जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही

क्रमांक/सामान्य/2026/55 दिनांक :– 13.03.2026

विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही /स्थाई लोक अदालत, सिरोही /सिरोही न्यायक्षेत्र की तालुका विधिक सेवा समितियों में कुल 11 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेवाएं निम्नानुसार ली जानें हैं:–

क्र.सं.	प्राधिकरण/समिति का नाम	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही	4
2	स्थाई लोक अदालत, सिरोही	2
3	तालुका विधिक सेवा समिति, शिवगंज	1
4	तालुका विधिक सेवा समिति, आबूरोड़	1
5	तालुका विधिक सेवा समिति, रेवदर	1
6	तालुका विधिक सेवा समिति, पिण्डवाड़ा	1
7	तालुका विधिक सेवा समिति, आबुपर्वत	1
	कुल योग	**11**

राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ. 17 (10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 व 14.11.2018 एवं क्रमांक प.8(1) विधि–2/विरसं.(64)/2015 पार्ट-II-17055 दिनांक 03.02.2026 माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेश कमांक F7(136)/ रालसा/संस्था/संविदा सेवा वाहन/2026/156 दिनांक 10.03.2026 के अनुक्रम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब की संभावना होने एवं तत्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उक्त रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेवाएं ली जानी है।

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के अनुसार देय होगा। आवेदक को विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का विकल्प वरीयता में देना होगा।

विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिकों की सेवाएं दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिये या नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो की कालावधि तक सेवाएं देने के इच्छुक कार्मिक विज्ञप्ति के संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेज के आवेदन कर सकेगें। उक्त पदो पर सेवाओ के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी। उपरोक्त पद पूर्णरूपेण अनुबंध पर सेवा के आधार पर होगें। उक्त संवर्गो की सेवाएं राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही /स्थाई लोक अदालत, सिरोही एवं सिरोही जिले की तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदो के अनुसार ली जायेगी।

उपरोक्त वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद पर उक्त शर्तो के अध्यधीन सेवाएं देने वाले इच्छुक कर्मचारी दिनांक 23.03.2026 को 1.00 पीएम तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदक जिला न्यायालय, सिरोही की वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/sirohi** से आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकता हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती हैं कि दिनांक 13.03.2026 के पश्चात् के आवश्यक निर्देशों बाबत् जिला न्यायालय, सिरोही की वेबसाईट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश),
सिरोही

कार्यालयः– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही (राज.)

(विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. जन्म तिथिः– ....
4. पता मय मोबाईल नम्बर :– ....
....
....
5. आयु (दिनांक 29.02.2025) :– .... वर्ष .... माह .... दिन
6. अर्हताएं :– ....
9. मूल विभाग का नाम :– ....
....
10. धारित पद :– ....
....
11. अनुभव :– ....
....
12. मूल वेतन
(रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) ....
पे–स्लीप/एलपीसी संलग्न करें।
13. धारित पद का वेतनमान ....
14. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....
15. विपरित प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
(1).. (2)..(3)..
16. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं......................................

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

वितरित प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक विपरित प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–
स्थान :–

हस्ताक्षर

कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही (राज.)

(विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों की सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :— ....
2. पिता / पति का नाम :— ....
3. जन्म तिथिः— ....
4. पता मय मोबाईल नम्बर :— ....
....
....

5. आयु (दिनांक 29.02.2025) :— .... वर्ष .... माह .... दिन

6. अर्हताएं :— ....

   1. मूल विभाग का नाम :— ....
   ....
   2. धारित पद :— ....
   ....
   3. अनुभव :— ....
   ....
   4. मूल वेतन
   (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) ....
   पे—स्लीप / एलपीसी संलग्न करें।
   5. धारित पद का वेतनमान ....
   6. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....
   7. विपरित प्रतिनियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
   (1)....................................... (2)..(3).......................................
   8. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं.....................................

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

<u>वितरित प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध</u>

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों / निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक विपरित प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :—

स्थान :—

हस्ताक्षर